[भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खंड–3, उप खण्ड (II) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 57/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 10 फरवरी, 2021

विषयः खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं हेतु अधिसूचना।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं के रूप में 150 प्रवेश के पत्तन (पीओई) की सूची प्रदान करने के लिए आईटीसी (एचएस) 2017 में आयात नीति के संबंध में सामान्य टिप्पणी के पैरा 4 (खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006) के तहत नए उप पैरा (घ) को निम्नानुसार शामिल करती हैः

(घ) खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुः भारत में सुरक्षित खाद्य आयातों के अधिदेश को सुनिश्चित करने हेतु एफएसएसएआई ने अनुसूची–I (आयात नीति) के परिशिष्ट–V में सूची क के अनुसार दिनांक 9 अक्तूबर, 2019 की एफएसएसएआई की अधिसूचना (फा.सं. 1–1715/एफएसएसएआई/आयात/2017) के द्वारा 150 खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं [जिसमें 27 समुद्री पत्तन, 15 हवाई अड्डे, 31 भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) और 77 अंतर्देशीय कंटेनर डिपो शामिल है] पर खाद्य आयात निकासी को संचालित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों को अधिसूचित किया है। खाद्य आयात प्रवेश बिन्दु संबंधी प्रतिबंध आईटीसी (एचएस) 2017 के अनुसूची–I के परिशिष्ट V की सूची ख में यथा वर्णित 1515 एचएस कोडों के तहत मदों हेतु लागू होंगे।

2. अधिसूचना का प्रभावः आईटीसी (एचएस) 2017 के 1515 एचएस कोडों के तहत सूचीबद्ध मदों हेतु 150 खाद्य आयात प्रवेश बिन्दुओं पर खाद्य आयात निकासी को संचालित करने हेतु प्राधिकृत अधिकारियों की सूची बनाते हुए, आईटीसी (एचएस) 2017 में आयात नीति अनुसूची I के संबंध में सामान्य टिप्पणी में नए उप पैरा को जोड़ा जाता है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव
10/02/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/27/एएम–12/पीसी–2 (क)/ई–5955 से जारी)